राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : प.04( )/आरएमएससी/लॉजिस्टिक/2012/1061 दिनांक : 03-08-2012

समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर,
समस्त प्राचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीक्षक, सम्बद्ध अस्पताल/
प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सालय एवं दंत महाविद्यालय,
संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान (समस्त)।

विषयः– औषधि भण्डारों (Sub Stores) व औषधि वितरण केन्द्रों (DDCs) का कम्प्यूटराइजेशन एवं
"निःशुल्क दवाईयों का विवरण पत्र" के सम्बन्ध में निर्देश।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली औषधियाँ/सर्जिकल/सूचर्स राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क प्रदान किए जा रहे है। वर्तमान में ई–औषधि सोफ्टवेयर के माध्यम से जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) द्वारा औषधियों/सर्जिकल/सूचर्स का लेखा–जोखा रखा जा रहा है।

विभिन्न चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा समय–समय पर चिकित्सा संस्थानों के औषधि भण्डारों (Sub Stores) एवं औषधि वितरण केन्द्रों (DDCs) का भी कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता प्रकट की गई है। इससे औषधियों/सर्जिकल/सूचर्स का प्रबन्धन व वितरण ओर अधिक पारदर्शी होगा। साथ ही लेखा संधारण भी सरल व सुचारू होगा । इसके अन्तर्गत रोगी को कम्प्यूटराईजड **"दवा विवरण पत्र"** दिया जाएगा जिसमें औषधि का मूल्य भी अंकित होगा तथा नीचे यह भी लिखा होगा कि उक्त औषधियाँ निःशुल्क प्रदान की गई है। ऐसा करने से औषधियों के दुरूपयोग (pilferage) एवं अपव्यय (wastage) की रोकथाम होगी व रोगी सभी दवाईयों का पूर्ण उपयोग करने को प्रेरित होगें। साथ ही इससे रोगियों को दवाओं के वास्तविक मूल्य की जानकारी भी हो सकेगी। जिससे भविष्य में यदि कोई दवा बाजार से खरीदनी पड़े तो वह उचित दर पर दवा प्राप्त कर सकेगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज, जिला, उप–जिला एवं सेटेलाईट चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सिटी डिस्पेन्सरियों पर स्थित सभी निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों का कम्प्यूटराईजेशन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इन चिकित्सालयों में स्थित दवा भण्डारों (hospital sub stores) का भी कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है। इससे ये अपनी वार्षिक माँग (Annnul Demand) व इण्डेन्ट ई–औषधि के माध्यम से जिला औषधि भण्डार (DDW) को भिजवा सकेगें।

- इस हेतु संलग्नानुसार वित विभाग द्वारा जारी परिपत्रों क्रमांक प.9(1) वित्त–1(1) बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 एवं क्रमांक प.9 (1) वित – 1/(1)/बजट/2010 दिनांक 25.07.2011 के अनुरूप नियमानुसार कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (machine along with trained personnel) राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) के माध्यम से लिया जाना है।
- इसके साथ ही इन औषधि वितरण केन्द्रों व दवा भण्डारों को कम्प्यूटरीकृत करने व ई–औषधि सोफ्टवेयर से जोड़ने हेतु इन्टरनेट कनेक्शन (डाटाकार्ड/ ब्रॉडबेण्ड), स्टेशनरी आदि की व्यवस्था भी राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) के माध्यम से की जानी है। कम्प्यूटराईजेशन के लिये एकमुश्त राशि जिसमें कम्प्यूटर हेतु बिजली की फिटींग, कम्प्यूटर पांइट, 1KVA यू.पी.एस., नया इन्टरनेट कनेक्शन करवाने आदि के लिए राशि रूपयें 30,000 प्रति केन्द्र की दर से सम्बन्धित आरएमआरएस को उपलब्ध करवाई जाएगी। इन

कार्यो हेतु जिला सूचना अधिकारी (DIO) अथवा I.T. Department के तकनीकी अधिकारियों की सहायता ली जा सकती है।

- इसके अतिरिक्त प्रत्येक औषधि वितरण केन्द्र एवं औषधि भण्डार हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर व प्रिन्टर, डाटा कार्ड, स्टेशनरी, प्रिटिंग इंक, आदि हेतु प्रतिमाह अधिकतम राशि रूपये 10,000 की दर से प्रत्येक केन्द्र के लिए दी जाएगी।
- यह राशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋण मे से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (RMSC) के द्वारा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) को उपलब्ध कराई जाएगी।
- कम्प्यूटराईजेशन लागू करने व सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) पर भी एक अतिरिक्त पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ (Monitoring Cell) बनाया जाएगा जो जिले में स्थित सभी औषधि भण्डारों (Sub Stores) व औषधि वितरण केन्द्रो (DDCs) को प्रशिक्षण (Training), समन्वय (Coordination), पर्यवेक्षण (Supervision), निरीक्षण (Inspection) आदि करने में प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डारगृह की सहायता करेगें। इसकी राशि सीधे ही राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (RMSC) को दी जाएगी।

क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 25.07.2011, कॉन्सेप्ट नोट, कम्प्यूटरीकृत दवा विवरण पत्र का प्रारूप व अधिक्षकों, सी.एम.एच.ओ., पी.एम.ओ. व आरएमएससी द्वारा सम्भावित व्यय विवरण संलग्न किया जा रहा है। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) को राशि हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन है व राशि शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक रिलीफ सोसायटी की कोष राशि (RMRS Fund) से व्यय किया जाना सुनिश्चित कराऐं।

उपर्युक्तानुसार आदेशों की अनुपालना कर क्रियान्वति दिनांक 31.08.2012 तक सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाना सुनिश्चित कराएँ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(बी.एन.शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
एवं
अध्यक्ष, आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मिशन निदेशक, एनआरएचएम, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, (जन स्वा0/आरसीएच/एड्स कन्ट्रोल/चिकित्सा प्रशासन/आईईसी) राजस्थान, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी/कार्यकारी निदेशक (समस्त) आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
8. सहायक महाप्रबन्धक (आई.टी.) आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 समित शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी